राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित / भर्ती प्रकोष्ठ / नर्स–2 सीधी भर्ती 2018 / 2020 / 109 दिनांकः– 8/1/2020

नर्स श्रेणी द्वितीय (गैर अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती–2018

अंतरिम वरीयता सूची सूचना

नर्स ग्रेड–द्वितीय (गैर–अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती–2018 के क्रम में निदेशालय द्वारा 6035 पदों भरे जाने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 231, दिनांक 30.05.2018 जारी कर भर्ती एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 04.06.2018 से दिनांक 03.07.2018 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की पालना में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किये गये थे। इसके उपरान्त संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 321, दिनांक 26.07.2018 द्वारा पदों की संख्या में संशोधन किया गया, जिसका वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	2967
2.	अनुसूचित जाति	939
3.	अनुसूचित जनजाति	704
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1232
5.	अति पिछड़ा वर्ग	59
6.	सहरिया	26
कुल		**5927**

रोस्टर के अनुसार कुल पदों की संख्या निम्नानुसार हैः–

वर्ग	पद	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यकता
अनारक्षित	2967	1484	1187	237	59
अनुसूचित जाति	939	470	376	75	18
अनुसूचित जनजाति	704	352	282	56	14
अन्य पिछड़ा वर्ग	1232	616	494	98	24
अति पिछड़ा वर्ग	59	30	24	4	1
सहरिया	26	13	11	2	0
कुल	**5927**	2965	2374	472	116

लम्बवत आरक्षण		
1.	विशेष योग्यजन	4 प्रतिशत 237 पद
2.	भूतपूर्व सैनिक	12.5 प्रतिशत 740 पद
3.	उत्कृष्ट खिलाड़ी	2 प्रतिशत 118 पद

उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डेटा एवं जिला अधिकारियों द्वारा प्रदत्त अनुभव आधारित बोनस के आधार पर दिनांक 24.06.2019 से 29.08.2019 तक एवं इनमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देते हुए दिनांक 21, 22 व 24 सितम्बर 2019 को एवं माननीय न्यायालय के निर्देशों से अन्य विभिन्न दिवसों पर आमंत्रित कर कुल ऑनलाइन 11711 एवं ऑफलाइन 287 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य सम्पादित किया गया जिनमें से योग्य पाये गये अभ्यर्थियों में से अंतरिम वरीयता सूची भर्ती एजेन्सी द्वारा तैयार की गयी है। पूर्व में दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची पर परिवेदनाएं आमंत्रित की गई थीं जिसपर प्राप्त कुल 680 ऑनलाइन परिवेदनाओं का सक्षम स्तर से निस्तारण किया गया। ऑफलाइन परिवेदना प्राप्त करने का प्रावधान नहीं होने से परिवेदना समिति द्वारा ऑफलाइन परिवेदनाओं को अस्वीकार कर दिया गया, केवल माननीय न्यायालय के आदेशों से प्राप्त ऑफलाइन परिवेदनाओं को स्वीकार किया गया।

जारी की जा रही अन्तरिम वरीयता सूची (Provisional Merit List) तैयार करने में प्रचलित भर्ती नियमों/आरक्षण/माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/अन्य संबंधित नियमों/नीति निर्धारण समिति/परिवेदना समिति के निर्णयों का ध्यान रखा गया है एवं साथ ही निम्नांकित का भी ध्यान रखा गया है:-

1. माननीय न्यायालय के आदेशों व अन्य कारणों से जो पद सुरक्षित रखे गये हैं उनके अतिरिक्त 190 और पद (50 सामान्य + 25 एस.टी. + 25 एस.सी. + 85 ओ.बी.सी. + 5 एम.बी.सी.) परिवेदनाओं एवं अन्य न्यायिक प्रकरणों तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में अन्तरिम वरीयता सूची (Provisional Merit List) में सुरक्षित रखे गये हैं जिनका प्रकाशन अंतिम चयन सूची के साथ किया जायेगा।

2. विज्ञापित पदों में अति पिछड़ा जाति (MBC) वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर पदों का निर्धारण किया गया था लेकिन विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 के द्वारा अति पिछड़ा जाति (MBC) वर्ग हेतु देय 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 के द्वारा अति पिछड़ा जाति (MBC) वर्ग हेतु 4 प्रतिशत अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर 4 प्रतिशत पदों पर अति पिछड़ा जाति (MBC) वर्ग को अलग से आरक्षण का लाभ प्रदान किया जावेगा। अतः वर्तमान में अति पिछड़ा जाति (MBC) वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर लाभ प्रदान करते हुए अंतरिम वरीयता सूची तैयार की गई है। साथ ही नव सृजित होने वाले 4 प्रतिशत एम.बी.सी. पदों पर चयनित योग्य अभ्यर्थियों को अलग से सूची में दर्शाया गया है।

3. संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को सत्यापित किये जाने के उपरान्त प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांकः आई.डी. 1133/चिस्वा./ग्रुप-3/2018 दिनांक 24.05.2018 के अनुसार अभ्यर्थियों को नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिया गया है।

4. इस भर्ती बाबत् माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों से सम्बन्धित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं में से ऐसे अभ्यर्थी जो माननीय न्यायालय के निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये गये एवं अंतरिम वरीयता सूची में स्थान पाने हेतु प्रतिस्पर्धा में स्थान बना पा रहे हैं, माननीय न्यायालय के निर्णयों व विभागीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए उनका भर्ती परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है।

5. पी.पी.पी. मोड पर कार्यरत अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में बोनस का लाभ दिया जाकर वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु दिनांक 6.1.2020 के माननीय न्यायालय के निर्णय को नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती पर भी समान रूप से लागू किये जाने के मद्देनजर इनका भर्ती परिणाम अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्त के अध्याधीन रहेगा।

6. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयुपर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया जाकर पंजीयन मान्य अथवा अमान्य किया गया है। इस संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13299/2017 मंजू देवी बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2017 के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिये यदि आवेदन कर दिया गया है और दस्तावेज सत्यापन प्रारम्भ होने की तिथि तक प्राप्त हो गया है, तो मान्य किया गया है।

7. अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई उस अनुभव अवधि को कम किया है जो अभ्यर्थियों द्वारा आर.एन.सी. में बिना पंजीयन कराये संविदा नियुक्ति हासिल कर लेने के कारण प्राप्त कर ली गई थी। इस बाबत आर.एन.सी. से प्राप्त डेटा के आधार पर कार्यवाही की गई है।

8. विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में चिकित्सा मण्डल, राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया चिकित्सालय एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर केवल ओ–एल (One Leg) श्रेणी के विशेष योग्यजन को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है। ओ–एल (One Leg) श्रेणी से भिन्न श्रेणी का होने पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है।

9. आवेदनकर्ताओं में सहरिया जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण इस श्रेणी हेतु आरक्षित पद नियमानुसार बैकलॉग हेतु रिक्त छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार जारी की जा रही अंतरिम वरीयता सूची केवल 5901 अभ्यर्थियों की है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी स्वयं की आरक्षित श्रेणी में ही कन्सीडर किया गया है।

11. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11379/2019 एवं डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13639/2018 पर माननीय न्यायालय के निर्णयों के क्रम में अन्य राज्यों में एन.एच.एम. योजना में कार्यरत अभ्यर्थियों को बोनस का लाभ नहीं दिया गया है।

12. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8751/2018 पर माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में जो अभ्यर्थी आवेदन करते समय नियमों में उल्लेखितानुसार नर्स श्रेणी द्वितीय पद की पात्रता नहीं रखते है, उन्हें वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

13. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13690/2018, 13750/2018 एवं 13902/2018 पर माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अन्य राज्यों में चिकित्सा विभाग के अंर्तगत कार्यरत अभ्यर्थियों को बोनस का लाभ नहीं दिया गया है।

14. रिट यचिका संख्या 12788/2018 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.9.19 के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अन्य विभागों/अन्य पदों पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।

15. दस्तावेज सत्यापन सूचना दिनांक 17.6.19 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया होने अथवा सत्यापित नहीं होने एवं दिनांक 18.5.18 से पूर्व अथवा दिनांक 3.7.18 के पश्चात जारी होने की स्थिति में मान्य नहीं किया गया था, किन्तु रिट यचिका संख्या 9602/2019 पर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 29.8.19 की अनुपालना में एवं नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 6.6.19 के क्रम में 18.5.18 से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्य कर दिया गया है जो अनुभव प्रमाणपत्र के पुनः सत्यापन के अध्याधीन होगा।

16. दिनांक 17.6.19 को जारी दस्तावेज सत्यापन सूचना के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार जिन आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन फार्म के साथ किसी कारणवश कार्यालय स्तर पर जॉच हेतु डाउनलोड नहीं किये जा सके थे, ऐसे आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन में भरे गये अनुभव के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमन्त्रण सूची में सम्मिलित किया गया था, इनमें से दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के अनुभव आधारित वास्तविक देय अंकों का निर्धारण दस्तावेज सत्यापन के दौरान किया जाकर नियमानुसार बोनस अंक (0–30) प्रदान किये गये हैं।

17. परिवेदना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार 44 अभ्यर्थियों को अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, जिनमें से 8 का दस्तावेज सत्यापन पूर्व में ही हो चुका है। शेष 36 अभ्यर्थियों में से मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन के अध्याधीन होगा।

18. 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान होने की स्थिति में अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। 01.06.2002 से पूर्व तीन या अधिक सन्तान होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को अन्तिम जन्मी सन्तान का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19. दिनांक 17.06.2019 को जारी दस्तावेज सत्यापन सूचना के बिन्दु संख्या 17, 18, 21 एवं 22 के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलॉड किये गये डेटा एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था। दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जितनी अवधि का सत्यापन किया है उसके आधार पर ही बोनस योग्य देय अंकों को अंतरिम वरीयता सूची तैयार किये जाने हेतु गणना में सम्मिलित किया गया है। उक्त दिनांक 17.6.19 के नोटिस में उल्लेखितानुसार दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये डेटा में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त प्राप्त डेटा अनुसार संशोधित कटऑफ निम्नानुसार है–

विवरण	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग	
श्रेणी	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
प्रतिशत	76.257	57.869	58.402	51.826	51.722	50.029	72.321	54.707	73.293	54.436
जन्म तिथि	15.9.90	2.7.92	8.7.90	27.8.95	3.7.90	15.1.91	1.1.85	23.6.95	12.12.77	16.10.89

20. ऐसे अभ्यर्थी जो इस अन्तरिम वरीयता सूची (Provisional Merit List) में स्थान बनाने में असफल रहे है उनका योग्यता व प्राप्तांकों संबंधित डेटा भी पृथक से प्रकाशित किया गया है।

21. योग्य नहीं पाये गये अभ्यर्थियो की सूची का भी प्रकाशन मय अयोग्य घोषित किये जाने के कारण के प्रकाशन किया गया है।

22. ऐसे ही जिन अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम किसी भी कारण से रोका गया है, उनकी सूची का भी प्रकाशन किया गया है।

23. सिविल अपील संख्या 8425/2013 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.11.18 के अन्य राज्यों की ऐसी महिलाएं जिनका विवाह राजस्थान में हुआ है उन्हे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया गया है। साथ ही वे महिलाऐं जो राजस्थान राज्य की निवासी हैं किन्तु जिनके दस्तावेजों में राजस्थान राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया गया हो जिसमें उनके पिता की जाति का उल्लेख हो, उन्हे आरक्षण के सामान्य नियमों को अपनाते हुए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है।

24. विधवा/परित्यकता श्रेणी का लाभ दिये जाने के संबध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा कुमारी धाकड़ बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश में आवेदन करने की तिथि तक प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ही इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को लाभ दिये जाने का निर्णय दिया है। अतः तद्नुरूप समानता अपनाते हुए ऐसे सभी अभ्यर्थियों हेतु भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया गया है। विधवा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को मृतक की पत्नि होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

25. उत्कृष्ठ खिलाड़ी संवर्ग में प्राप्त आवेदनों का कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.19 के क्रम में संबंधित संस्था से पुनः पुष्टिकरण कराया जाना होगा। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने खेलकूद सम्बन्धी प्रमाणपत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उल्लेखित खेल संस्थानों के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित कराते हुए प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। अतः वर्तमान में इस संवर्ग के अन्तर्गत पद सुरक्षित रखते हुए अंतरिम वरीयता सूची प्रकाशित की जा रही है।

26. पी.एच.एन. पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सिविल रिट सं 9986/2019 पर माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में एन.एच.एम./आर.सी.एच. के तहत पी.एच.एन. पद के कार्य का अनुभव होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बोनस का लाभ दिया गया है।

27. जिन अभ्यर्थियों ने दो भिन्न भिन्न आई.डी. संख्या पर दस्तावेज सत्यापन करवा लिया है, ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता एक आई.डी. पर ही रखी गई है। अतः दूसरी आई.डी. के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है।

28. जिन अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम किसी दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त के अध्याधीन जारी किया गया है, उन्हे सम्बंधित दस्तावेज/प्रमाण अंतिम वरीयता सूची के पूर्व प्रस्तुत करना

होगा जिसके आधार पर ही अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जावेगा।

29. यह अंतरिम वरीयता सूची कोई चयन या नियुक्ति सूची नहीं है। इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

30. जारी की जा रही अंतरिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन व दायर होने वाली रिटों में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी। साथ ही यह सूची विभागीय नीतिगत निर्णयों के भी अध्याधीन होगी।

31. इस अंतरिम वरीयता सूची पर दिनांक 15.01.2020 तक ऑनलाइन परिवेदनाएं आमंत्रित की जाती हैं। अभ्यर्थी अपनी परिवेदनाएं नीचे दिये गये लिंक पर भेज सकते हैं– http://grievance.recrajswasthya.org/

32. ऑफलाइन परिवेदनाएं स्वीकार्य नहीं होंगी।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त-निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स–2 सीधी भर्ती 2018/2020/109 दिनांकः–8/1/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अन्तरिम वरियता सूची को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर